

संपादकीय
त्रिकोणीय मुकाबला

दिल्ली में सतारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी गठबंधन नहीं हो पाने से अब देश की राजधानी में त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। अभी प्रदेश की सभी सीटें भाजपा के पास हैं। दिल्ली में तीन दलों के मैदान में होने वाली राष्ट्रीय मुद्दों के इर्दगिर्द सिमटी यह चुनावी जंग दिलचस्प होने जा रही है। कांग्रेस और आप की इस 'दोस्ती' के प्रयासों को लेकर दिल्ली समेत पूरे देश में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मात्र 5 साल में ऐसा क्या कुछ बदल गया कि एक-दूसरे के प्रतिवर्द्धी ये दल गठबंधन के लिए बेकार होने लगे। लोकपाल और अष्ट्राचार के खिलाफ समाजसेवी अक्षा हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल क्यों उन शीला दीक्षित के साथ जाने के लिए लालायित हो गए, जिन्हें वे अष्ट्राचार के आरोप में जेल भेजने की बात करते थे। 2015 में दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आप की ऐसी क्या मजबूरी रही है कि वह उस कांग्रेस के द्वारा पर गठबंधन के लिए याचक की मुद्दा में खड़ी हो गई, जिसका दिल्ली में एक भी सांसद व विधायक नहीं है।

दरअसल, आप प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय से उस विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश में लगे हैं, जो मोदी के खिलाफ कभी भी अंतिम स्वरूप नहीं ले पाया। दिल्ली के बाहर आप के पांच प्रायारों के गठबंधन के लिए भी कांग्रेस के पाले में जाने के लिए लालायित रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण दिल्ली विधानसभा के बाद हुए चुनावों के अंकड़े हैं। 2014 में मोदी की लहर में सभी 7 सीटें भाजपा की झोली में चली गई, जबकि कांग्रेस और आप खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि 2015 के विधानसभा के चुनाव में 54.3 प्रतिशत वोट व 67 सीटों के साथ आप को प्रचंड बहुमत मिला। जबकि भाजपा 32 फीसदी वोट पर लिमिट गई, लेकिन दो साल बाद 2017 में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी और उसका 5 फीसदी वोट भी बढ़ गया। आप का वोट 26 फीसदी घट गया। जबकि विधानसभा चुनाव में 9.7 फीसदी वोट पाने वाली कांग्रेस को 21.28 फीसदी वोट मिले। इसीलिए केजरीवाल गठबंधन चाहते थे। आप का आकलन है कि दोनों दल मिलकर भाजपा को शिक्षित दे सकते हैं। दिल्ली में ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि एक साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से आरटीआई के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचना का खुलासा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से आरटीआई के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचना का खुलासा करने का निर्देश दिया जब तक कि उन्हें कानून के तहत इससे छूट ना मिल जाए। साथ ही, यह चेतावनी भी दी कि भविष्य में इस तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए। शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आरटीआई के तहत तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए। शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आरटीआई के तहत तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए। शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आरटीआई के तहत तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए।



रिपोर्ट के बारे में सभी सूचनाएं और अन्य सामग्री देने के लिए कर्तव्यबद्ध है आरबीआई ने न्यायालय के समक्ष कहा कि खुलासा नीति को वेबसाइट से देता दिया जाए। शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आरटीआई के तहत तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए। शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आरटीआई के तहत तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए।

नवी नीति के तहत आरबीआई ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया था कि वे उन सूचनाओं का खुलासा नहीं करें जिनका शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के फैसलों में खुलासा करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने उसके 16 दिसंबर 2015

के फैसले का उल्लंघन किया और न्यायालय के अवमानना याचिकाओं पर फैसला सुनिश्चित रख लेने के बाद केंद्रीय बैंक ने 12 अप्रैल की अपनी वेबसाइट पर नवी खुलासा नीति जारी की।

कही। पीठ ने कहा, यद्यपि प्रतिवादियों के इस अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करना जारी रखने पर हम गंभीर रुख अपना सकते थे, लेकिन हम उहें खुलासा नीति में दी गई वैसी छूट की वापस लेने का अंतिम मौका नहीं अदालत के लिए आरबीआई को अवमानना निर्दिस जारी किया था। इससे यह उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि आरबीआई ने उन सामग्रियों के खुलासे से मना करके इसकी विपरीत है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी निरीक्षण रिपोर्ट और सामग्री के खुलासे से अवमानना नीति की अलावा अन्य सामग्री गई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता जब तक कि उसे कानून के तहत खुलासे से छूट ना प्राप्त हो।

रेलवे ट्रेन टिकट रिजर्वेशन से जुड़े इस नियम में करेगा बदलाव, यात्रियों को होगा फायदा

नई दिल्ली (आरएनएस)।



अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बेहद खास है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को बेहतर

बनाने के लिए नए-नए कदम उठाता रहता है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें ट्रेन टिकट बुक कराते वर्क अपने जिस ट्रेन सोन्डिंग स्टेशन को चुना है। लेकिन बाद में इस स्टेशन को बदलवाना चाहते हैं, तो अब 1 मई से यह काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। रेलवे का कहना है कि इस टिकट पर कैसल कराने पर रिफंड नहीं होगा।

टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज- आप अपने टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलवाने करना चाहते हैं। तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं। जबकि अभी 1 मई से रेलवे के टिकटिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग

स्टेशन बदलवा सकेंगे। अभी इसे सिर्फ 24 घंटे पहले तक ही बदला जा सकता है। यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जाता है, तो टिकट कैसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा।

टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज- आप अपने टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं। जबकि अभी 1 मई से रेलवे के टिकटिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे

पहले तक आप अपना बोर्डिंग

स्टेशन को बदलवा सकेंगे। अभी इसे सिर्फ 24 घंटे पहले तक ही बदला जा सकता है। यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जाता है, तो टिकट कैसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा।

टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज-

आप अपने टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं। जबकि अभी 1 मई से रेलवे के टिकटिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे

पहले तक आप अपना बोर्डिंग

स्टेशन को बदलवा सकेंगे। अभी इसे सिर्फ 24 घंटे पहले तक ही बदला जा सकता है। यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जाता है, तो टिकट कैसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा।

टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज-

आप अपने टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं। जबकि अभी 1 मई से रेलवे के टिकटिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे

पहले तक आप अपना बोर्डिंग

स्टेशन को बदलवा सकेंगे। अभी इसे सिर्फ 24 घंटे पहले तक ही बदला जा सकता है। यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जाता है, तो टिकट कैसिलेशन पर उसे पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा।

टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज-

आप अपने टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं। जबकि अभी 1 मई से रेलवे के टिकटिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। 1 मई से ट्रेन के चार्ट बनने से चार घंटे

पहले तक आप अपना बोर